ऑन लाईन नं.RCMS2022/297

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 39/2022

श्री जीत सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री मनीष महेश्वरी पुत्र श्री ओम प्रकाश —खाद्य कारोबारकर्ता—
   मै0 नेचरलेण्ड ऑर्गोनिक फूड्स प्राईवेट लिमिटेड, डी–325–326, रिको एग्रो फूड पार्क, श्रीगगानगर।
   निवासी 700 बी, अशोक नगर, बीआर मॉडल स्कूल के पास, मीरा चौंक, श्रीगंगानगर।
2. श्री अजीत गोदारा , निदेशक
   मै0 नेचरलेण्ड ऑर्गोनिक फूड्स प्राईवेट लिमिटेड, डी–325–326, रिको एग्रो फूड पार्क, श्रीगंगानगर।
3. श्री अरविन्द गोदारा, निदेशक
   मै0 नेचरलेण्ड ऑर्गोनिक फूड्स प्राईवेट लिमिटेड, डी–325–326, रिको एग्रो फूड पार्क, श्रीगंगानगर।
4. मै0 नेचरलेण्ड ऑर्गोनिक फूड्स प्राईवेट लिमिटेड, डी–325–326, रिको एग्रो फूड पार्क, श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय दिनांक : 14.02.2023

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री विशाल मित्तल खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 26.07.2011 के गजट में भाग 2(क) पर प्रकाशित हुआ है एवं निदेशालय के आदेश क्रमांकःएच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/475 दिनांक 10.08.2011 द्वारा केन्द्रीय दल, कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर में पदस्थापित है। परिवादी का स्थानीय क्षेत्र समस्त राजस्थान राज्य का है जिसका गजट नोटिफिकेशन दिनांक 11.04.2012 के गजट में भग 2 (क) पर प्रकाशित हुआ है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

श्री विशाल मित्तल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 14.06.2022 को 1.00 पी.एम. का मै0 नेचरलेण्ड ऑर्गोनिक फूड्स प्राईवेट लिमिटेड, डी–325–326, रिको एग्रो फूड पार्क, श्रीगंगानगर पर पहुंचा। मौके पर विक्रेता मनीष महेश्वरी पुत्र श्री ओम प्रकाश अपना परिचय

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

देकर दुकान पर रखे **Organic Black Pepper (Nature Land)** के बारे में जानकारी चाही. इस पर विक्रेता ने स्वयं को दुकान का खाद्यकारोबारकर्ता होना बताया तथा आपकी संस्थान पर 100–100 ग्राम के 16 कार्टुन (प्रत्येक कार्टुन में 100 ग्राम के 20 प्लास्टिक डब्बी) **Organic Black Pepper (Nature Land)** को आमजन के बेचान वास्ते होना बताया। मुझे इसी **Organic Black Pepper (Nature Land)** में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जाच वास्ते **Organic Black Pepper (Nature Land)** का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5ए भरकर देते हुए बरवक्त की मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व मने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए न्याय निर्णयन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **Organic Black Pepper (Nature Land)** में से 100–100 ग्राम की 20 प्लास्टिक डब्बी **Organic Black Pepper (Nature Land)** विक्रेता से खरीदी। विक्रेता का मौके पर ही उक्त कयशुदा **Organic Black Pepper (Nature Land)** का नगद भुगतान 2450/– रूपये किया तथा कैशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और मेरे भी हस्ताक्षर है। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्तक्षर करने को कहा जिसे श्री मनीष महेश्वरी एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक श्री मनीष महेश्वरी को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **Organic Black Pepper (Nature Land)** की 100–100 ग्राम की 20 प्लास्टिक डब्बी को चार भागों में बांधकर प्रत्येक भाग पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर **के कोड व कमांक के 1518** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप के–1518** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं के आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री मनीष महेश्वरी एवं गवाहान ने भी पढकर,समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये । फर्द रिपोर्ट मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–एलएस/727/एक्ट/2022/727 दिनांक 23.06.2022 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1518 Sub-Standard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त मनीष महेश्वरी पुत्र श्री ओम प्रकाश **मै0** नेचरलेण्ड ऑर्गोनिक फूड्स प्राईवेट लिमिटेड, डी–325–326, रिको एग्रो फूड पार्क, श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **Organic Black Pepper (Nature Land)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 01.12.2022 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने जरिय अधिवक्ता अपना जवाब प्रस्तुत किया है कि शीर्षक प्रकरण खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1,2,3,4 मैसर्स नेजर लेण्ड ओग्रेनिक फूड प्रा.लि. डी 325–326, एग्रो फूड पार्क, श्रीगंगानगर से जैविक काली मिर्च का नमूना लेबल व शुद्वता की जांच हेतु लिया गया तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी बीकानेर के द्वारा नमूना निम्नाकिंत कारणो से सबस्टेण्डर्ड पाया गया।

Non Volatile Ether Extract, by weight on dry basis---Method--- FSSAI Manuals of Methods of analysis of spices, herbs & Condiments---2021 Method No. FSSAI 10.012"2021 Regult 5.04 Persant—Not less than 6-0 persant.

अप्रार्थीगण के संस्थान से जांच हेतु लिया गया जैविक काली मिर्च खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के बने प्रावधानों के अन्तर्गत एवं अधिनियम के अन्तर्गत बने रेगुलेशन के अनुसार शुद्वता की दृष्टि निर्धारित मानको के अन्तर्गत शुद्व पाया गया इसमें किसी प्रकार की कोई अशुद्वता नहीं पाई गई, केवल एक मैथडद्य को छोड़कर सभी मैथड में शुद्वता पाई गई लेकिन सेम्पल को उपरोक्त कारण से सबस्टेन्डर्ड बताया गया जो निम्न प्रकार है:–

1. यह कि अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2011 के अन्तर्गत एवं अप्रार्थीगण की संस्थान से लिया गया जैविक काली मिर्च का सेम्पल किसी भी प्रकार से सबस्टेन्डर्ड की श्रेणी में नहीं आता है क्योंकि अधिनियम की धारा 3(1)(यभ) के अन्तर्गत परिभाषा अनुसार इससे खाद्य पदार्थ असुरक्षित नहीं होता है इसलिए यह सबस्टेण्डर्ड की श्रेणी में नहीं आता है तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा इसका विक्रय भी नहीं किया गया।
2. यह कि शीर्षक प्रकरण के अन्तर्गत किसी भी उल्लघंना का कारण व आधार विद्यमान नहीं है ना ही पूर्ण रूप से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सेम्पल लेते समय कॉलम नम्बर 5(ए) में कोई उल्लेख नहीं किया है तथा ना ही वहां पर सेम्पल लेते समय वहां पर रखी पैकिंग में से हर एक पैंकिंग में से कोई सैम्पल नहीं लिया गया जो कि विधि विरूद्व है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

3. यह कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत यदि किसी प्रकार का कोई दोष प्रकट होता है तो उसके सम्बन्ध में विवेचन आवश्यक हो जाता है कि वह किसी प्रकृति का है इस सन्दर्भ में अधिनियम 2006 की धारा 49 के प्रावधान आकर्षित होते है।
4. यह कि शुद्वता की दृष्टि से अप्रार्थीगण की संस्था से लिया गया जैविक काली मिर्च पूर्णतया शुद्व एवं निर्धारित मानक स्तरों के अनुरूप पाया गया और इनमें किसी प्रकार की कोई मिलावट या अन्य पदार्थ का अंश नहीं पाया गया।
5. यह कि अप्रार्थीगण के द्वारा किसी प्रकार की कोई पैंकिंग एवं लेबल की उल्लघंना नहीं की गई है।
6. यह कि अप्रार्थीगण के विरूद्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1) (यभ) व 26 (2)(11) किसी भी प्रकार से साबित नहीं होते है क्योंकि उसकी परिभाषा के अनुसार एवं तथ्यों तथा अप्रार्थीगण के विरूद्व पेश किये गये प्रकरण के अनुसार अप्रार्थीगण के विरूद्व लागू नहीं होती। इसलिए अप्रार्थीगण के विरूद्व पेश किया गया परिवाद सव्यय खारिज फरमाया जावें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।
परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **Organic Black Pepper (Nature Land)** का सैम्पल **K-1518** जांच रिपोर्ट क्रमांक :–एलएस/727/एक्ट/2022/727 दिनांक 23.06.2022 द्वारा **Sub-Standard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की उप धारा 26(2)(ii)/51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध साबित होता है। जिसमें अधिकतम 5,00,000 रूपये की शास्ति का प्रावधान है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2011 के अन्तर्गत एवं अप्रार्थीगण की संस्थान से लिया गया जैविक काली मिर्च का सेम्पल किसी भी प्रकार से सबस्टेन्डर्ड की श्रेणी में नहीं आता है क्योंकि अधिनियम की धारा 3(1)(यभ) के अन्तर्गत परिभाषा अनुसार इससे खाद्य पदार्थ असुरक्षित नहीं होता है इसलिए यह सबस्टेण्डर्ड की श्रेणी में नहीं आता है तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा इसका विक्रय भी नहीं किया गया।शीर्षक प्रकरण के अन्तर्गत किसी भी उल्लघंना का कारण व आधार विद्यमान नहीं है ना ही पूर्ण रूप से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सेम्पल लेते समय कॉलम नम्बर 5(ए) में कोई उल्लेख नहीं किया है तथा ना ही वहां पर सेम्पल लेते समय वहां पर रखी पैकिंग में से हर एक पैंकिंग में से कोई सैम्पल नहीं लिया गया जो कि विधि विरूद्व है।शुद्वता की दृष्टि से अप्रार्थीगण की संस्था से लिया गया जैविक काली मिर्च पूर्णतया शुद्व एवं निर्धारित मानक स्तरों के अनुरूप पाया गया और इनमें किसी प्रकार की कोई मिलावट या अन्य पदार्थ का अंश नहीं पाया गया।अप्रार्थीगण के विरूद्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1) (यभ) व 26 (2)(11) किसी भी प्रकार से साबित नहीं होते है क्योंकि उसकी परिभाषा के अनुसार एवं तथ्यों तथा अप्रार्थीगण के विरूद्व पेश किये गये प्रकरण के अनुसार अप्रार्थीगण के विरूद्व लागू नहीं होती। इसलिए अप्रार्थीगण के विरूद्व पेश किया गया परिवाद सव्यय खारिज फरमाया जावें।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of "**Organic Black Pepper (Nature Land)** "bearing Code No and Sr. No. K-1518 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar **Sub-standard Food as it is not conform to the prescribed Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulation, 2011.**की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त मनीष महेश्वरी पुत्र श्री ओमप्रकाश को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त मनीष महेश्वरी पुत्र श्री ओमप्रकाश को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 30,000–00 (अखरे रूपये तीस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में मनीष महेश्वरी पुत्र श्री ओमप्रकाश खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(डा. हरीतिमा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त. जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर